न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 57/2011

1. धापू पुत्री स्व0 हिमता
2. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 हिमता
   जति चीता, निवासी ग्राम रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला–अजमेर।
2. हल्का पटवारी ग्राम नोसर तहसील व जिला अजमेर
3. नगर सुधार न्यास अजमेर जरिये सचिव .....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1.	श्री मोहम्मद इकबाल	अभिभाषक अपीलान्ट
2.	श्री ओमप्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक
3	श्री हरिसिह गुर्जर	अभिभाषक अप्रार्थी 03

आदेश दिनांक–14.02.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट्स द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के यहां प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट्स के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया था जो कि दिनांक 1.2.2011 को जारी की गयी थी। उपरोक्त स्थगन आदेश के पश्चात समस्त प्रतिवादीगण जो कि वाद पत्र में पक्षकार है, को नोटिस की तामील हो गयी थी एवं स्थगन आदेश की जानकारी हो गयी थी जिसमें विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर को भी स्थगन आदेश की जानकारी न्यायालय द्वारा दे दी गयी थी। जिसके पश्चात नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 खसरा नम्बर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के बाबत तस्दीक किया गया । जिसमें भूमि की किस्म को नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत जारी किया हुआ था । ऐसी स्थिति में जो नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी कर अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट 1 व 2 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 3 की ओर से श्री हरिसिह गुर्जर अभिभाषक उपस्थित आये । पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों की ताईद करते हुये कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के यहां प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट्स के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया था जो कि दिनांक 1.2.2011 को जारी की गयी थी। उपरोक्त स्थगन आदेश के पश्चात समस्त प्रतिवादीगण जो कि वाद पत्र में पक्षकार है, को नोटिस की तामील हो गयी थी एवं स्थगन आदेश की जानकारी हो गयी थी जिसमें विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर को भी स्थगन आदेश की जानकारी न्यायालय द्वारा दे दी गयी थी। जिसके पश्चात नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 खसरा नम्बर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के बाबत तस्दीक किया गया । जिसमें भूमि की किस्म को नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत जारी किया हुआ था । ऐसी स्थिति में जो नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 के विरूद्व अपील प्रस्तुत है। तहसीलदार महोदय, अजमेर द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 विरूद्व न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से काबिल निरस्त योग्य है। विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर को विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 1.02.2011 जो खसरा नम्बर 184 तथा खसरा नम्बर 225 के बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया और उपरोक्त स्थगन आदेश में यथा स्थिति बनाये रखने तथा रहन, बेचान करने से पाबन्द करने का स्थगन आदेश जारी किया गया था जिसकी प्रतियां मय नोटिस विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर को प्राप्त हो चुकी थी इसके बावजूद उन्होनें नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। विधि का सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि जहां पक्षकारों में विवाद चल रहा हो तो स्वतः ही मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखनी चाहिए, परन्तु वर्तमान प्रकरण में विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर द्वारा स्थगन आदेश की जानकारी के बावजूद जानबूझ कर नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2002 की पालना में दर्ज किया गया है जो मयाद बाहर था और वर्तमान में जिस खसरा नम्बर के बारे में आदेश जारी किया गया है उसमें वाद विचाराधीन होने के साथ साथ स्थगन आदेश भी जारी है ऐसी स्थिति में जो नामांतरकरण दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

जवाब मे उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि नामांतरकरण सख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नामांतरकरण भरकर नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम का अंकन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होना अंकित किया गया है इस स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नही होती है। अतः अपील खारिज फरमावे।

जवाब मे उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बहस में निवेदन किया कि नामांतरकरण सख्या 1039 दिनांक 13.06.2011 माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नामांतरकरण भरकर नगर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

सुधार न्यास अजमेर के नाम का अंकन किया गया है, जो विधि संवत है। अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होना अंकित किया गया है इस स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नही होती है। अतः अपील खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली को अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बाबत अपीलान्ट द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, एवं 188 के तहत वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, चूकि प्रश्नगत भूमि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित अनुतोष सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये ही प्राप्त किये जा सकते है। अस्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानुनी आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर